न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 1261 सन 2021

अन्तर्गत :-

1 रामेश्वरलाल पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2 निकिता पुत्री प्रेमकुमार जाति जाट जरिये नाबालिगान संरक्षिका माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

3 नितिन पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट जरिये नाबालिगान संरक्षिका माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

4 मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर। **वादीगण**

बनाम

1 झाबरराम पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

2 सुमित्रा पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

3 सरोज पुत्री झाबरराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़। **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 59/58 की कुल 2.5300हैक्ट एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 की कुल 4.4270हैक्ट एवं रोही मोजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 58/56 की कुल 2.2770हैक्ट तीनों खाता की भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मोजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 547/517 की कुल 25.5530हैक्ट में से 12/101 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा देवतराम वल्द श्यांचन्द्र के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी वादी के दादा देवतराम वल्द श्योचन्द्र के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा देवतराम वल्द श्योचन्द्र के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 1 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता देवतराम वल्द श्योचन्द्र के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है एवं संयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि है जो पैतृक भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/दादा आदि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिरा पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 59/58 की कुल 2.5300हैक एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 की कुल 4.4270हैक एवं रोही मोजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 58/56 की कुल 2.2770हैक तीनों खातो की भूमि में से 1/4 हिसा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा देवतराम वल्द श्योचन्द्र के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा देवतराम वल्द श्योचन्द्र के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा देवतराम वल्द श्योचन्द्र के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें राजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी संख्या 1 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 59/58 की कुल 2.5300हैक एवं रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 की कुल 4.4270हैक्टे एवं रोही मौजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 58/56 की कुल 2.2770हैक्टे तीनों खातों की भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है व रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 547/517 की कुल 25.5530हैक्टे में से 12/101 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है

जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2038 मुताबिक नियम/पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि देवाराम वल्द श्योचन्द के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा देवाराम वल्द श्योचन्द के नाम से दर्ज है वादी के दादा देवाराम वल्द श्योचन्द के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 59/58 की कुल 2.5300हैक्टे एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 की कुल 4.4270हैक्टे एवं रोही मोजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 58/56 की कुल 2.2770हैक्टे तीनों खातो की भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा , वादीगण संख्या 2 ता 4 बहिस्सा 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा , का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 547/517 की कुल 25.5530हैक्टे मे से 12/101 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , वादी संख्या 4 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (...)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20 रूल 6 / जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1 रामेश्वरलाल पुत्र झाबरराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2 नितिका पुत्री प्रेमकुमार जाति जाट जरिये नाबालिगान संरक्षिका माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3 नितिन पुत्री प्रेमकुमार जाति जाट जरिये नाबालिगान संरक्षिका माता मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4 मुकेश पत्नी प्रेमकुमार जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1 झाबरराम पुत्र देवतराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2 सुमित्रा पत्नी झाबरराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3 सरोज पुत्री झाबरराम जाति जाट निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1261 सन 2021 निर्णय दिनांक– 16/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जीजीएम के खाता संख्या 59/58 की कुल 2.5300हैव एवं रोही मौजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 310/299 की कुल 4.4270हैव एवं रोही मोजा चक 5 आरएमजी के खाता संख्या 58/56 की कुल 2.2770हैव तीनों खातो की भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा , वादीगण संख्या 2 ता 4 बहिव 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा , का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 11 बारानी के खाता संख्या 547/517 की कुल 25.5530हैव में से 12/101 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा , वादी संख्या 4 अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेली 1/3 हिस्सा की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

Scanned with CamScanner